निबंधन संख्या पी0टी0-40

# बिहार गजट

## असाधारण अंक

## बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

**7 आषाढ 1938 (श0)**

**(सं0 पटना 529) पटना, मंगलवार, 28 जून 2016**

**सं0 08 / आरोप–01–245 / 2014,सा०प्र०—6935**
**सामान्य प्रशासन विभाग**

**संकल्प**
**16 मई 2016**

श्री शेखर चन्द्र वर्मा, (बि०प्र०से०), कोटि क्रमांक–233 / 11, तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी, बिहार शरीफ सम्प्रति संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना के विरूद्ध जिला पदाधिकारी, नालन्दा के पत्रांक–4923, दिनांक 11.12.2006 द्वारा पंचायत निर्वाचन, 2006 में श्रीमती मंजू देवी को निकटतम प्रत्याशी से कम मत प्राप्त होने के बावजूद प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र सं०–30 बिहार शरीफ, पूर्वी के लिए निर्वाचित घोषित किये जाने एवं निर्वाचन प्रमाण पत्र दिये जाने का आरोप प्रतिवेदित किया गया। श्री शेखर चन्द्र वर्मा पंचायत निर्वाचन 2006 में अनुमंडल पदाधिकारी, बिहार शरीफ के रूप में जिला परिषद् सदस्य के निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाची पदाधिकारी थे। मतगणना के पश्चात् प्रपत्र–21 में अभ्यर्थीवार प्राप्त मतों की विवरणी तैयार की गयी परन्तु कुल 26 प्रत्याशी होने के कारण प्रपत्र–21 दो पृष्ठों में तैयार हुआ। प्रथम पृष्ठ में 23 उम्मीदवारों को प्राप्त मतों की विवरण थी एवं दूसरे पृष्ठ में 3 उम्मीदवारों की। प्रथम पृष्ठ में अंकित उम्मीदवारों में जो ज्यादा मत प्राप्त किये थे उन्हें निर्वाची पदाधिकारी के रूप में निर्वाचित घोषित करते हुए प्रमाण–पत्र निर्गत कर दिया गया जबकि अधिकतम मत प्राप्त उम्मीदवार दूसरे पृष्ठ में थे जिसके कारण इस विषय पर विवाद उत्पन्न हुआ एवं न्यायालय में परिवाद (केस) दायर हुआ।

प्राप्त आरोप–पत्र के आलोक में श्री वर्मा से स्पष्टीकरण प्राप्त किया गया एवं सम्यक विचारोपरांत पाया गया कि श्री वर्मा निर्वाची पदाधिकारी थे एवं उन्होंने प्राप्त मतों का उम्मीदवारवार विवरणी देखे बिना निर्वाचित होने का प्रमाण–पत्र दे दिया। उक्त चूक के लिए श्री वर्मा को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 14 (i) के तहत विभागीय संकल्प सहपठित ज्ञापांक 9091 दिनांक 25.6.2012 द्वारा लघु शास्ति "निन्दन" आरोप वर्ष के प्रभाव से दी गयी।

उक्त शास्ति के विरूद्ध श्री वर्मा द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में सी०डब्ल्यू०जे०सी० सं०–13760 / 12 दायर की गयी। माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 20.09.2013 को पारित आदेश द्वारा दी गयी शास्ति संकल्प ज्ञापांक 9091 दिनांक 25.06.2012 को निरस्त कर दिया गया एवं 4 (चार) महीनों के अन्दर याचिकाकर्त्ता के कारण पृच्छा अभ्यावेदन दिनांक 30.03.2012 के आलोक में जिला पदाधिकारी, नालन्दा द्वारा प्रतिवेदित आरोप पत्र प्रपत्र 'क' पर पुनर्विचार करने एवं नये सिरे से आदेश पारित करने का निर्देश दिया गया। माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश की कार्यान्वयन कंडिका 28 से 29 निम्नवत् है :–

**Para 28-** It must be however clarified that since this Court has quashed the impugned order only on the ground of there being no reasoned order and its being in violation of the principle of natural justice it would give liberty to the respondents to pass a fresh order but only after taking into account the defence of the petitioner disclosed in the show-cause reply dated 30.3.2012 as also after following the mandate of Rule 19(1) (d) r/w Rule 19(2)(vi) & (vii) of Bihar Government Servant (Classification, Control & Appeal) Rules, 2005 and in the light of observations and finding recorded in this judgment.

**Para 29-** Such order against the petitioner, if any, must be passed within a period of four months from the date of receipt of this order failing which the respondents shall stand permanently restrained from passing any order of punishment against the petitioner in respect of "Praptra-Ka" contained in the letter of the Collector, Nalanda district bearing letter no. 4923 dated 11.12.2006 as contained in Annexure-10 to this writ application.

माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में श्री वर्मा के मामले पर नये सिरे से विचार किया गया एवं प्रतिवेदित आरोप प्राप्त स्पष्टीकरण पर जिला पदाधिकारी और निर्वाचन आयोग के मंतव्य पर सम्यक् विचारोपरांत संकल्प ज्ञापांक–18173, दिनांक 28.11.2013 द्वारा निम्नलिखित शास्ति अधिरोपित की गयी :–

(क) अगले तीन वर्षो तक के लिए प्रोन्नति पर रोक,

(ख) तीन वर्षो से अनाधिक अवधि के लिए संचयी प्रभाव के बिना कालमान वेतन में निम्नतर प्रकरण पर अवनती।

श्री वर्मा द्वारा दी गयी शास्ति के विरूद्ध पुनः निर्णय से असंतुष्ट हुए और उन्होंने माननीय उच्च न्यायालय में CWJC No-5041/14 दायर किया गया। माननीय उच्च न्यायालय ने पुनः अपने पारित आदेश दिनांक 4.12.2015 द्वारा संकल्प ज्ञापांक 18173 दिनांक 28.11.2013 को निरस्त कर दिया। पारित आदेश की कार्यान्वयन अंश कंडिका–7 एवं 8 निम्नलिखित है :–

Para 7- It would appear from the order of this Court dated 20.9.2013, passed in C.W.J.C. No-13760 of 2012 that matter was remanded to the respondents to consider whether the punishment of censure was justifiable or not, as the said order was made even without even considering the defence of the petitioner taken in his show cause reply. The respondents instead of considering whether that punishment of censure was justifiable or not, enhanced the quantum of punishment, It is relevant to state that the department was not agreeing with the quantum of punishment, rather it was the petitioner who has challenged the order. In my view, the punishment could have been enhanced only after providing a fresh show cause notice to the petitioner and only after consideration of observations contained in paragraphs 21 and 27 of the order dated 20.9.2013, passed in C.W.J.C. No-13760 of 2012

Para 8- In the result, the writ petition succeeds and the impugned resolution of the Bihar Government dated 28.11.2013. issued under the signature of Joint Secretary, General Administration Department, Government of Bihar is set aside with liberty to proceed afresh.

माननीय उच्च न्यायालय ने CWJC N0- 5041/2014 में पारित आदेश दिनांक 4.12.2015 के कंडिका–8 में विभागीय संकल्प दिनांक 28.11.2013 को निरस्त करते हुए कहा गया है कि बिहार सरकार नये सिरे से कार्रवाई हेतु स्वतंत्र है। इसके आलोक में श्री वर्मा से विभागीय पत्रांक 4477 दिनांक 28.3.2016 द्वारा अनुरोध किया गया कि पूर्व में उनके द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण दिनांक 30.3.2012 में वर्णित तथ्यों के अतिरिक्त भी अगर कोई नये तथ्य एवं साक्ष्य अपने समर्थन में पूरक स्पष्टीकरण के माध्यम से रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। उक्त आलोक में श्री वर्मा द्वारा पूरक स्पष्टीकरण दिनांक 30.3.2016 द्वारा समर्पित किया गया।

श्री वर्मा के स्पष्टीकरण एवं पूरक स्पष्टीकरण पर सम्यक रूप से विचार किया गया। श्री वर्मा अपने स्पष्टीकरण में मूलतः यह कहने की कोशिश की है कि सहायक निर्वाची पदाधिकारी प्रखंड विकास पदाधिकारी थे एवं उनके स्तर पर यह गलती हुई। मतगणना के दौरान अधीनस्थ पदाधिकारियों के स्तर से लिपिकीय भूल हुई। उनके द्वारा मात्र निर्वाचित होने का प्रमाण–पत्र श्रीमती मंजू देवी को दिया गया था। स्पष्टीकरण में उन्होंने लिखा था कि बिहार पंचायत राज नियमावली 2006 के नियम 81 के अनुसार परिणामों की घोषणा करनी थी जिस अभ्यर्थी को अधिकतम मत मिले हैं निर्वाची पदाधिकारी उन्हें निर्वाचित घोषित करेगा। श्रीमती मंजू देवी के निर्वाचित होने की घोषणा की गलती प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा की गयी थी। श्री वर्मा का कथन है कि दिनांक 4.7.2006 को सब जज न्यायालय में शिकायत दर्ज होने की सूचना जब उन्हें मिली तो उन्होंने जाँच किया और जिला पदाधिकारी को वस्तुस्थिति से अवगत कराया।

मतगणना विवरणी प्रपत्र–21 के प्रथम पृष्ठ में 23 अभ्यर्थियों की विवरणी है एवं दूसरे पृष्ठ में 3 अभ्यर्थियों की विवरणी है। प्रथम पृष्ठ पर PTO एवं लगातार अंकित है। श्री सत्येन्द्र कुमार को 1318 मत प्राप्त हुए थे जिनके नाम दूसरे पृष्ठ पर है जबकि श्रीमती मंजू देवी जो प्रथम पृष्ठ के क्रमांक 10 पर है, को मात्र 1277 मत प्राप्त हुए थे। प्रथम पृष्ठ पर लगातार और PTO लिखने का स्पष्ट मतलब है कि दूसरे पृष्ठ को भी देखा जाय। श्री वर्मा निर्वाची पदाधिकारी थे। मतगणना का कार्य सहायक निर्वाची पदाधिकारी देख रहे थे। श्री वर्मा को निर्वाचित होने का प्रमाण–पत्र निर्गत करने के पूर्व स्वयं एक बार प्रपत्र–21 को अवश्य देखनी चाहिए थी। पूरे धटनाक्रम से यह स्पष्ट नहीं है कि श्री वर्मा ने जान–बूझकर कम मत प्राप्त करने वाले को निर्वाचित घोषित किया परन्तु अनुमंडल पदाधिकारी एवं निर्वाची पदाधिकारी के गुरूत्तर दायित्वों का भी निर्वहन उन्होंने नहीं किया। निर्वाचन प्रमाण–पत्र पर हस्ताक्षर करने के महत्वपूर्ण कार्य को निर्वाची पदाधिकारी को गंभीरता से लेना है परन्तु श्री वर्मा ने बहुत हल्के ढंग से इसे लेते हुए जो प्रमाण–पत्र नीचे से बनकर आया उसे उन्होंने हस्ताक्षर कर दिया। श्री वर्मा का स्पष्टीकरण में यह कहना है कि प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं नीचे के स्तर की भूल थी यह पूर्णतः स्वीकारयोग्य नहीं है। श्री वर्मा ने निर्वाची पदाधिकारी के महत्वपूर्ण दायित्व का निर्वहन सम्यक् रूप से नहीं किया।

उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में अनुशासनिक प्राधिकार के द्वारा श्री शेखर चन्द्र वर्मा, (बि०प्र०से०), कोटि क्रमांक–233/11, तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी, बिहार शरीफ सम्प्रति संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना से प्राप्त स्पष्टीकरण दिनांक 30.3.2012 एवं पूरक स्पष्टीकरण दिनांक 30.03.2016 को सम्यक् विचारोपरांत अस्वीकृत किया जाता है एवं निम्नलिखित निर्णय लिया जाता है :–

(i) माननीय उच्च न्यायालय द्वारा CWJC-5041/2014 में पारित आदेश के आलोक में विभागीय संकल्प सहपठित संकल्प ज्ञापांक–18173 दिनांक 28.11.2013 को निरस्त किया जाता है।

(ii) श्री शेखर चन्द्र वर्मा, बि०प्र०से०, तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी, बिहार शरीफ को पंचायत निर्वाचन 2006 में निर्वाची पदाधिकारी के रूप में मतगणना विवरणी प्रपत्र–21 का अध्ययन किये बिना एवं स्वयं के स्तर से सत्यापन किये बिना अधीनस्थ कर्मियों से प्राप्त निर्वाचन प्रमाण–पत्र को हस्ताक्षरित करने एवं कम मत प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को निर्वाचित होने का प्रमाण–पत्र निर्गत करने में हुई गंभीर चूक के लिए प्राप्त स्पष्टीकरण दिनांक 30.3.2012 एवं पूरक स्पष्टीकरण 30.3.2016 को अस्वीकारयोग्य मानते हुए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 14 (i) के तहत निम्नलिखित शास्ति अधिरोपित एवं संसूचित की जाती है :–

(क) निन्दन (आरोप वर्ष 2006–07 के प्रभाव से)।

**आदेशः–आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।**

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
**केशव कुमार सिंह,**
सरकार के संयुक्त सचिव।

---

**अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,**
**बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।**
**बिहार गजट (असाधारण) 529–571+10–डी0टी0पी0।**
**Website: http://egazette.bih.nic.in**